<u>न्यायालय तहसीलदार, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं</u>

पीठासीन अधिकारी ::: मांगेराम पूनियां R.T.S.

मिसल नं. ::: 01 / 2022

सरकार बनाम सुशीला चौधरी पत्नी सुखवीरसिंह, जाति–जाट, निवासी– पीपली हाल पिलानी

<u>राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत</u>

निर्णय दिनांक : 28.01.2022

<u>निर्णय</u>

पत्रावली पेश हुई। गैर सायला उपस्थित। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायला सुशीला चौधरी पत्नी सुखवीरसिंह, जाति–जाट, निवासी–पीपली हाल पिलानी द्वारा रोही मौजा पीपली की राजकीय भूमि ख.नं. 968 / 106 कुल रकबा 0.13 है0 किस्म गै.मु. रास्ता में से 0.13 है0 भूमि पर फसल सरसों काश्त कर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायला को नोटिस जारी किया गया। गैर सायला ने हाजिर अदालत होकर जवाब नोटिस पेश किया कि जिसमें अपना अतिक्रमण होना अस्वीकार किया है। गैर सायला का जवाब संतोषप्रद नही माना जा सकता। अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायलान को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उनके विरूद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते है। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 39 रू. कायम किया जाता है। राजकीय भूमि में बोई गई फसल को राजहक में कुर्की, जब्ती एवं नियमानुसार निलामी करने की आज्ञा दी जाती है। इस बाबत् गिरदावर हल्का को लिखा जावें।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावें। पटवारी / गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावें । मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.01.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रा० ले० स० 4 के पृष्ठ सं....... 47 ......पर वर्ष 2021-22 में रुपये 39/– कायम किए

राजस्व लेखाकार

(मांगेराम पूनियां)
तहसीलदार, सूरजगढ़